जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I have changed my name from Kamar Begum to Kamar Jahan W/o Abbas Khan R/o 135, Gali No.2, Moonganagar, Karawalnagar, North East Delhi,-110094 for all purposes.
0060082740-2

I Arun Chaudhary S/O Pardhan Singh, Date of birth 30 Jul 2000 R/o Vill Batwara Po Amroh Teh Mukerian District Hoshiarpur State Punjab Pin 144224 have changed my name to Arun Choudhary and date of birth to 30 Jul 2001 as per my Matriculation Certificate for all purposes.
0040577690-2

I Gurmeet Singh S/O Roshan R/O- B-3/ 17, Sector 15, Rohini, Delhi- 110085 have changed my name to Gulshan Grover For all future purposes.
0070747523-1

I Monika Sachdeva w/o Ramesh r/o C-38 Lajpat Nagar-3 New Delhi 110024 have changed my name to Sonali
0050181375-1

I, NIZAMUDDIN ALI S/O-SHAMSHUDDIN, R/O C-12/313, FIRST FLOOR, YAMUNA VIHAR, DELHI-53 have changed my name to NIZAMUDDIN USMANI.
0040577753-2

I, NAEEMA USMANI, W/O-NIZAMUDDIN USMANI, R/O C-12/313, FIRST FLOOR, YAMUNA VIHAR, DELHI-53.have changed my name to NAIMA USMANI
0040577753-1

I, Guriya Singh, W/o Aditya Narayan, R/o 422C, 2ND-Floor, Street.No.1, Sarpanch Ka Bara, Mandawali, Delhi-110032.Changed my name to Guriya Devi.
0040577753-3

I, Gayatri Garg w/o Satish Kumar R/o-635, Ward.No.5, Mehrauli, New Delhi-110030,have changed my name to Gomati Garg.for all future purposes
0040577753-4

I Viraj Vijay Son Of Vijay Kumar Chaturvedi Resident Of J-1 Jalvayu Vihar, Sector-25, Noida UP-201301 Have Changed My Name From Viraj Vijay To Viraj Vijay Chaturvedi Vide Affidavit IN-DL0143172918530 5T Dated 24 Jul 21 At New Delhi.
0050181367-1

I, Khusboo Nehru W/o Sh. Shonak Nehru R/o 32/22, Gali no 9, Gandhi Nagar, Gurugram, Haryana-122001 . That I have changed my name Khusboo Yadav to Khusboo Nehru for all Future Purposes.
0040577699-1

Viraj Vijay Son Of Vijay Kumar Chaturvedi Resident Of J-1 Jalvayu Vihar, Sector-25, Noida UP-201301 Have Changed My Name From Viraj Vijay To Viraj Vijay Chaturvedi Vide Affidavit IN-DL0143172918530 5T Dated 24 Jul 21 At New Delhi.
0050181367-1

खोया+पाया

I lost my class 12th CBSE Passing Certificate (Name- Pankaj Kumar Yadav, Roll No- 9163857, S/O- Lal Babu Singh Yadav) lost somewhere in Delhi, if found please contact- 8586856245.
0050181331-1

PUBLIC NOTICE

It is brought to the public notice that my client Ram Baba @ Raju, S/o Bansanchar Dayal R/o L-027, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi -59 has disowned and disinherited his son namely, S/o Umesh Kumar S/o Shri Ram Babu @ Raju R/o L-027, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi 110059, from all their property both movable and immovable and also severed all their Relations, rights and connections with them on account of their bad habits, misbehavior towards Parents. It is further notified that anybody dealing with them in any matter/transactions, shall do the same own his/her own risk, cost, and consequences and my client shall not be liable/responsible for any act, commissions or omissions on their behalf.

Kundan Lal (Advocate) D-417/2012
Ch. No. 17, R.K. Dairy Block, Sultan Puri,
New Delhi-110086

PUBLIC NOTICE

My Client, Sh. Manoj Gupta S/o Late Sh. Shiv Shankar R/o J-220/52, J-Block, Vishnu Garden, Tilak Nagar, West Delhi, Delhi-110018, has disowned to his son Mr. Sagar S/o Sh. Manoj Gupta R/o J-220/52, J-Block, Vishnu Garden, Tilak Nagar, West Delhi, Delhi-110018, from his movable and immovable property.
My client shall not be responsible in any manner whatsoever.
The declaration made by Mr. Manoj Gupta is also enclosed herewith in this regard.
PODNAM (Advocate)
Enr. No. D/1180/2015
Shop No. 2, 405-A, Behind SDM Office, Rampur, Delhi-110035 (M) 9654249789

PUBLIC NOTICE

My Client Sh. Chotki Ram Vidyar @ Chhabi Ram @ Chhabi Ram @ Chabi Ram S/o Late Shri Devi Deen Yadav 2162/71OC, Guru Arjun Nagar, New Delhi 110008, has declare to the public at large that my grandson Shri Sumit Yadav S/o Late Shri Om Prakash Yadav and his wife Ms Richa Yadav have harassed and tortured me and my other family members. I being the elder member of the family therefore declare that I and my family have no concern from now onwards with Sumit Yadav and Richa Yadav and if anybody is dealing with them, they shall do so on their behalf and I and my family will not be responsible for the same.
Advocates
SUMIT SARNA, MAMTA SARNA

"IMPORTANT"

What care is taken prior to acceptance of advertising copy. It is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

"अपत्र सं. आइएनसी–26"
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए सामान्य पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ii) के मामले में
और
अमय टेक्नोलिस्टएस प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U51909DL2017PTC312805
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : सी–1/199, गली नं. 19, साउथ खांड सेन मार्केट, नियर गर्ल्स कैलीजोज, दिल्ली–110024 में स्थित है
.....याचिकाकर्ता
सूचना
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन पत्रांकन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 16 जुलाई, 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक विवरण प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।
153, सैक्टर–31, गुड़गांव, हरियाणा–122001
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
ओरम इंफ्रा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 26.07.2021 चितेन्द्र जैन (निदेशक)
स्थान : गुड़गांव डीआईएन : 01527840

प्ररूप संख्या आईएनसी–26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
कप्रम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U70200HR2021PTC092187)
जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय : 153, सैक्टर–31, गुड़गांव,हरियाणा–122001 में है, के मामले में
.....**आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता**
एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन कंडूकत का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **हरियाणा राज्य** से **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** में स्थानांतरित करने के लिए **शुक्रवार, 02 जुलाई 2021** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक विवरण प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।
153, सैक्टर–31, गुड़गांव, हरियाणा–122001
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
ओरम इंफ्रा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 26.07.2021 चितेन्द्र जैन (निदेशक)
स्थान : गुड़गांव डीआईएन : 01527840

प्ररूप संख्या आईएनसी–26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
कप्रम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U70200HR2021PTC092187)
जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय : 153, सैक्टर–31, गुड़गांव,हरियाणा–122001 में है, के मामले में
.....**आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता**
एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन कंडूकत का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **हरियाणा राज्य** से **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** में स्थानांतरित करने के लिए **शुक्रवार, 02 जुलाई 2021** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक विवरण प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।
153, सैक्टर–31, गुड़गांव, हरियाणा–122001
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
कप्रम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 26.07.2021 चितेन्द्र जैन (निदेशक)
स्थान : गुड़गांव डीआईएन : 01527840

फार्म नं. एन सी एल टी 3ए
याचिका का विवरण ऐसे आवेदन विज्ञापन
(राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के नियम 36 के अनुसरण में)
राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी याचिका सं. सीए (सीएए)–57/एनडी/2021
और
कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए)–57/एनडी/2021
कम्पनी (समझौता, व्यवस्था, समामेलन) नियम 2016 के पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 एवं अन्य लागू प्रावधान के मामले में
और
निगमविलिकृत के बीच समामेलन की योजना के मामले में
एमकेएसी बंकरपीएल प्राइवेट लिमिटेड
CIN : U74899DL1988PTC034293
कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए–4, प्रीमा स्पेशे व्यापार सिंडिकेट, विकास मार्ग, अलीपुर बैद्दा सिंडिकेट, नई दिल्ली–110092 में है
याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 1 / हस्तांतरणकर्ता कम्पनी
और
सुप्रीम पॉलीमोर्फोलीन प्राइवेट लिमिटेड
CIN : U74899DL1993PTC056706
कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए–7/12, अंसारी रोड, दरियाँ गंज, नई दिल्ली–110002 में है
याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 2 / हस्तांतरणकर्ता कम्पनी
उनके संबंधित शेयरधारक एवं लेनदार
याचिका की सूचना
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230–232 के अंतर्गत याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा समामेलन की योजना के अनुमोदन के लिए 02 जुलाई, 2021 को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेंच के समक्ष कंपनि याचिका पर सुनवाई की तिथि 09 सितम्बर, 2021 निर्धारित की गई है।
कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो, वह याचिकाकर्ता के कानूनी अधिवक्ति को अपने आशय की सूचना, अपने नाम और पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन से कम से कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता के समक्षी अधिवक्ति के पास प्रस्तुत करने सकता है। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध का आधार या समर्थन की एक ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाए। अपोइनतकारी हस्ता याचिका की प्रति की मांग करने वाले व्यक्ति को इसकी प्रति प्रभारित करेंगे अथवा भुगतान करने पर इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
दिनांक : 26.07.2021 हस्ता/–
(अभिषेक नाहटा)
प्रोक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट/
याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि
पता : आर–46, लोअर ग्राउंड फ्लोर, बेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048

Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana
Peshi: 03-09-2021
CNR NO: PBLD03-017865-2019
Publication Notice for proclamation under section 82 CR PC
Monu
Vs.
Sanjay Kumar
complaint Riw sec 138 of NI ACT
Notice To: Sanjay Kumar S/o Shanti Ram R/o Luggat (722), Kuchhera Kangarjat Singhpur, H.P.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 03-09-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court. Complaint U/S 138 of N.I. ACT
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?lang=en&mod=notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

COURT NOTICE
In the court of Sh. Satish Kumar Sharma JMIC Ludhiana
Next Date: 27-08-2021
M/s Shree Balaji Processors Vs. Mohd. Fariq Mullah
CNR NO: PBLD03-001239-2019
Publication Issued To: Mohamad Faiq Mullah Prop. M/s Ekra Enterprises Having Office At Bardiya Bazar, Sant Kabir, nagar Khalilabad, District. Gorakhpur-272175 (U.P.) 2nd Address- M/s Erka Enterprises B-2019, St.No. 3, Punjabi Bagh, Mayapuri Chowk, Ludhiana
whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused (accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 27-08-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court. Complaint U/S 138 of N.I. ACT
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?lang=en&mod=notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और ऋण अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों 2016 के विनियमन 31 (5) और 31 (4) के अनुसार विनियमन 12 (5) के साथ पठित
मेगा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
(CIN: U74999DL2005PTC133840) के हितधारकों के ध्यानार्थ

भारतीय दिवाला और ऋण अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों 2016 के विनियमन 31 (5) और 31 (4) के अनुसार विनियमन 12 (5) के साथ पठित, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है मेगा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड–परिसमापन में (**"कॉर्पोरेट देनदार"**) के लिहाजकों की सूची माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण–नई दिल्ली बैंच–IV के **दिनांक 08.07.2021** के आदेश के अनुसार संशोधित की गई है।
मुद्रीक कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की कोई कार्यात्मक वेबसाइट नहीं है, इसलिए, परिसमापन द्वारा स्वीकार किए गए दावों की राशि का पूरा विवरण दिखाने वाले हितधारकों की सूची, जिस तक दावे सुरक्षित/असुरक्षित हैं, **परिसमापक के कार्यालय ई–103, जी के एन्क्लेव –1, नई दिल्ली –110048** में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी। कॉर्पोरेट देनदार के हितधारकों की सूची के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए **irppoch@gmail.com** पर संबोधित किया जा सकता है।
हस्ता/–
अभिषेक आर्य
परिसमापक - मेगा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत संख्या : IBBI/IPA-002/IP-P00038/2016-17/10077
पता: ई–103, जी के एन्क्लेव – 1, नई दिल्ली – 110048 ई मेल: irppoch@gmail.com
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.07.2021

जुवेंटस एस्टेट लिमिटेड

(सीआइएन नंबर U70109DL2006PLC151259, ईमेल: www.indiabullsrealestate.com)
पंजीयक का पता: 'इंडियाबुल्स हाउस' 448–451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम–122001

सार्वजनिक सूचना

जैसाकि, **जुवेंटस एस्टेट लिमिटेड** सेक्टर–104, गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम, हरियाणा में, 34,0229 एकड़ (13,789 हेक्टेयर लगभग) के क्षेत्र में एक मुश्त हाउसिंग कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया, जो भागों/वर्गों में है। निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ (**डीटीपीसी**) द्वारा सेक्टर – 104, गुरुग्राम में दिनांक 29.10.2007 को 2007 के लाइसेंस सँख्या 246, दिनाँक 23.06.2011 को 2011 के 56, दिनांक 22.04.2012 को 2012 के 37, दिनांक 21.06.2012 को 2012 के 66 और 67 और दिनांक 16.06.2014 को 2014 के 43 और 44 के प्रावधानों के अनुसार है।
और उपरोक्त, कई व्यक्तियों ने उक्त कॉलोनी में अपार्टमेंट/इकाइयों के आवंटन के लिए बुकिंग की है (इसके बाद "मौजूदा आवंटियों" के रूप में संदर्भित)।
और उपरोक्त, मुद्दा हाउसिंग कॉलोनी के पार्ट/फेज (इसके बाद "प्रोजेक्ट" के रूप में संदर्भित) की बिल्डिंग प्लान, पहले डीटीसीपी सेमी नंबर जेडपी– 968 / एससी (सीएस)/2017/3051 दिनांक 16.02.2017 द्वारा अनुमोदित (**स्वीकृत बिल्डिंग प्लान**) को अब संशोधित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए डीटीसीपी द्वारा मेसो नंबर ZP-968-VoI-III/SD(DK)/2021/15922 दिनांक 06.07.2021 ("**संशोधित बिल्डिंग प्लान**") के तहत सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।। यह परियोजना एचआरईआरए के साथ भी पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या 2017 का 160(ए) दिनांक 21.11.2017 है।
और उपरोक्त, उपरोक्त संदर्भित मेसो दिनाँक 06.07.2021 के तहत, डीटीसीपी के कार्यालय की पूर्व अनुमोदित भवन योजनाओं में इस तरह के संशोधन की अनुमति देने के लिए पूर्व–अनुमोदित भवन योजनाओं के उक्त संशोधन के खिलाफ आपत्तियाँ/सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।
तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा संशोधित भवन योजनाओं पर मौजूदा आवंटियों से सहमति/आपत्ति, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। स्वीकृत भवन योजनाएँ और संशोधित भवन योजनाएँ वर्तमान आवंटियों के अवलोकन/रेविमें के लिए निम्नलिखित पर उपलब्ध हैं– हा हमारी वेबसाइट– www.indiabullsrealestate.com, वहां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 'इंडियाबुल्स हाउस' 448–451, उद्योग विहार, फेज – V, गुरुग्राम–122001, गुरुग्राम ना सेक्टर–104, गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम, हरियाणा में परियोजना स्थल कार्यालय में और यू सीनियर टाउन प्लानर, गुरुग्राम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–14, गुरुग्राम, हरियाणा के कार्यालय में।
इन संशोधित भवन योजना (योजनाओं) पर किसी भी मौजूदा आवंटी को आपत्ति हो तो वे परिषद नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, एचएसवीपी परिसर, सेक्टर–14, गुरुग्राम के कार्यालय में अपनी आपत्ति/सहमति दर्ज करा सकते हैं और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के (**30**) दिनों के भीतर, असफल होने पर यह माना जाएगा कि भवन योजना (योजनाओं) में प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है और सहमति स्वीकृत माना जाता है।
स्थान: गुरुग्राम **जुवेंटस एस्टेट लिमिटेड के लिए**
दिनांक: 26.07.2021 **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कोर्ट नंबर IV, नई दिल्ली

सीएए – 76/एनडी/2021
के साथ संबंधित
सीए (सीएए)–25/एनडी/2021

के मामले में:
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधान (समझौता और व्यवस्था) नियम 2016 के साथ पढ़ा जावेए के तहत याचिका

कोर मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
(अंतरणकर्ता कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी 1)
और
रंगोली रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
(अंतरिती कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी 2)
और
उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार
के
संयोजन योजना के मामले में

उपस्थित:
1. डॉ. पी.एस.एन. प्रसाद माननीय सदस्य (न्यायिक)
2. श्री कपल कुमार वोहरा सदस्य (तकनिकी)

विज्ञापन की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त कंपनियों के विलय के लिए माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली खंडपीठ–IV, नई दिल्ली द्वारा एक याचिका दिनांक 13.07.2021 को उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष अंतरणकर्ता कंपनी जोकि कोर मौल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी 55, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली–110092, के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मोहम्मद इकबाल अहमद के माध्यम से और अंतरिती कंपनी जोकि रंगोली रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 604, आशादीप, 9 हैली रोड, नई दिल्ली 110001, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री दविंदर कुमार आहूजा के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिका पर दिनांक 01.09.2021 को पूर्वाह्न 10:30 बजे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई का निर्देश दिया जाएगा।

कोई भी लेनदार, शेयरधारक, अंशदायी या कोई अन्य व्यक्ति जो उक्त याचिका पर आदेश का समर्थन या विरोध करना चाहता है, उसे याचिकाकर्ता(ओं) या उसके अधिवक्ता को उसके द्वारा हस्ताक्षरित उसके इरादे के बारे में नोटिस और उसके अधिवक्ता को नाम और पते के साथ भेजना चाहिए ताकि याचिकाकर्ता(ओं) या उनके अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 5 दिन पहले पहुँचें और इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत रूप से या उनके अधिवक्ता से सुनवाई में उपस्थित हों। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी लेनदार या शेयरधारक या अंशदायी को उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत की जाएगी।

याचिका के विचार में इरतेमाल किए जाने के इरादे से किसी भी हलफनामे को हिब्यूनल में दायर किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता(ओं) या उनके वकील को सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 5 दिन पहले यानी 01.09.2021 पर एक प्रति दी जानी चाहिए।

स्थान: नई दिल्ली आशीष अग्रवाल, गुरकमल होरा अरोड़ा
दिनांक: 24.07.2021 इंटेलेक्ट लॉ पार्टनर अधिवक्तागण
1. लिंक रोड, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014
ईमेल: ashish/intellectlp.com, मोबाइल: 9810034337

सार्वजनिक सूचना

फॉर्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014
के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष।
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में
और
मै. एनेक्सिंग डाइमेंशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
[CIN:U72200DL2003PTC118884]
जिसका पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं.–305, बर्ड फ्लोर, गाम्मा कॉम्प्लेक्स–3, सैक्टर–ई, पॉकेट–6, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 में स्थित है,
के मामले में। ..... (याचिकाकर्ता)

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी केन्द्रीय सरकार, के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन पाइटत का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिये तारीख 20–07–2021 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक विवरण प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।
सीआरएस–24 सेवा मंत्री ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली–110042
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
गोयल मूवर्स एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
ललित कुमार गोयल
दिनांक : 26.07.2021 (निदेशक)
स्थान : दिल्ली डीआईएन: 08816744

मेट्रो स्टेशन के बंद गेट खुलेंगे, कोच में बैठेंगे 50 यात्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जुलाई।

यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सोमवार से दिल्ली मेट्रो 16 स्टेशनों पर बंद चल रहे 16 प्रवेश द्वार खोलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) पहले से ही अपने सभी स्टेशनों पर 260 गेटों के माध्यम से यात्रियों के प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है।

ये 16 गेट पहले कोरोना के चलते बंद थे। इसके साथ ही मेट्रो में अब सभी सीटों पर बैठकर यात्री सफर कर सकेंगे। यह सुविधा भी सोमवार से शुरू होगी। बता दें कि एक कोच में 50 यात्री ही बैठ सकते हैं।

दिल्ली मेट्रो में सोमवार से अब सीट छोड़ कर बैठने की जरूरत नहीं होगी। एक कोच में सीटों की संख्या के हिसाब से कुल 50 यात्री सफर कर सकेंगे। खड़े हो कर सफर नहीं कर सकेंगे। डीएमआरसी ने कहा कि आम जनता को यह धारणा है कि सोमवार से दिल्ली मेट्रो अपनी क्षमता के पूर्ण या 100 फीसद के साथ परिचालन करेगी। ऐसा नहीं है। डीएमआरसी ने दोहराया है कि वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि सोमवार से प्रति कोच अधिकतम 50 यात्रियों की अनुमति है, जबकि कोविड से पहले एक कोच में 300 लोग चलते थे। इसलिए स्टेशनों में प्रवेश को विनियमित किया जाना जारी है। इससे हालांकि कतारें थोड़ी कम हो सकती हैं। सरकार के अनुसार मेट्रो परिसर के अंदर कोविड के उचित व्यवहार के अनुपालन और पालन के कारण यह होगा। पूर्व–कोविड समय में प्रतिदिन 60 लाख से अधिक यात्री यात्राएं की जाती थीं। इसकी संख्या पर प्रतिबंध लगाने की वजह से ट्रेनों की अधिकतम 5100 फेरे चला रही है।

ये गेट खुलेंगे

मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर ईस्ट गेट नंबर 2, जनकपुरी वेस्ट गेट नंबर 1, द्वारका मोड़ गेट 2, करोल बाग गेट 6, वैशाली का गेट 3, नोएडा सेक्टर 18 का गेट 1, सेक्टर 62 नोएडा का गेट 2, नोएडा सिटी सेंटर का गेट 4, आजादपुर दो का गेट 2, मॉडल टाउन का गेट 1, जीटीबी नगर का गेट 2, कश्मीरी गेट का 3, केंद्रीय सचिवालय का गेट 2, ग्रीन पार्क का गेट 3, गांधी नगर का गेट 2, एमजी रोड का गेट 2 और गोविंदपुर